

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

--:: कार्यालय आदेश ::--

संख्या- 4/संविदा-I-16-02/2025/सा0प्र0 पटना-15, दिनांक.....

श्री मुकेश कुमार सिंह, वीडिंग एक्सपर्ट, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का कार्य संतोषजनक नहीं रहने के कारण दिनांक- 26.05.2026 के प्रभाव से आवधिक संविदा रद्द की जाती है।

2. विभागीय आदेश संख्या- 440 दिनांक- 19.08.2025 की कंडिका- 3 द्वारा इमपैनल श्री अनिल प्रकाश, से0नि0 प्रशाखा पदाधिकारी को वीडिंग एक्सपर्ट, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के रूप में योगदान की तिथि से आवधिक नियोजित किया जाता है।

3. श्री अनिल प्रकाश, से0नि0 प्रशाखा पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अंदर हस्ताक्षरित एकरारनामा एवं असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष योगदान समर्पित किया जाय।


4. निर्धारित अवधि तक योगदान नहीं करने की स्थिति में इनकी आवधिक नियोजन स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

5. उक्त में अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 4/संविदा-I-16-02/2025 ~~298~~ /सा0प्र0 पटना-15, दिनांक ~~22-5-26~~

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/लेखा शाखा एवं श्री शकील अहमद, आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव